भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 236

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सड़कें

236. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित नई सड़कों और उन्नत की गई मौजूदा सड़कों की संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली, मध्य प्रदेश और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले सहित राज्य-वार और जिला-वार कुल लंबाई (किमी) कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार और नागपुर सहित जिला-वार कितना बजट आवंटित और व्यय किया गया है;

(ग) पीएमजीएसवाई का ग्रामीण संपर्क और आर्थिक विकास के संबंध में विशेषकर दादरा और नागर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राज्य-वार और जिला वार क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार और नागपुर सहित जिला-वार क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अलग-अलग कार्यकलापों/घटकों के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में कुल मिलाकर 12,602.11 किलोमीटर और 5,139.93 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। वर्ष- वार विवरण नीचे दिया गया है:-

निर्मित लंबाई (कि.मी.)			
वर्ष	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	नागपुर (महाराष्ट्र)
2020-21	2,957.441	180.500	0.00
2021-22	4,443.945	199.16	47.27
2022-23	3,731.63	1,143.70	78.48
2023-24	909.95	1,570.12	81.13
2024-25	559.146	2,046.45	3.87
कुल:	**12,602.11**	**5,139.93**	**210.75**

संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली से कोई पीएमजीएसवाई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई के अलग-अलग कार्यकलापों के तहत पूरी हुई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के राज्यवार और ज़िलेवार विवरण कार्यक्रम **वेबसाइट** ***omms.nic.in->progress monitoring->Financial Year wise Achievement*** पर देखे जा सकते हैं।

(ख) पीएमजीएसवाई के क्रियान्वयन हेतु राज्य को निधि का आवंटन योजना राज्य से मिले प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है , जो अन्य बातों के साथ-साथ , पहले से चल रहे कार्यों, राज्य की निष्पादन क्षमता और राज्य के पास उपलब्ध अव्ययित राशि पर निर्भर करती है। इस योजना को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य को समग्र रूप से निधी जारी की जाती है न कि जिले-वार। पिछले पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष में पीएमजीएसवाई के तहत आवंटित और व्यय किए गए बजट का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण आबादी को बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने में सहायता की है और विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजित किए हैं। इसने क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद की है। इस प्रकार , इसने गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में सहायता की है। इस योजना ने कृषि , स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार सृजन के मामले में बड़ा प्रभाव डाला है। पीएमजीएसवाई ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों की ग्रामीण आबादी के जीवन पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव डाला है , यह अलग-अलग विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए एक सुविधाप्रदाता और अग्रगामी बनकर उभरी है।

(घ) पीएमजीएसवाई में निर्माण के दौरान सड़क के काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की संकल्पना की गई है। इस प्रणाली का प्रथम स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है। दूसरा स्तर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएमस) के माध्यम से राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के रूप में स्थापित किया गया है , जिसमें पीएमजीएसवाई के कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण का प्रावधान है। तीसरा स्तर केंद्रीय स्तर पर एक निष्पक्ष निगरानी तंत्र है। इस स्तर के तहत , स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) को यादृच्छिक रूप से चयनित पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के लिए शामिल किया गया है। योजना में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए , यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे स्तर पर स्वतंत्र निगरानीकर्ता प्रत्येक सड़क कार्य के निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल पर कम से कम 10 डिजिटल तस्वीरें लें, जिनमें एक फील्ड प्रयोगशाला भी शामिल हो और कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सार्वजनिक रूप से देखे जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी वेबसाइट ओएमएमएएस पर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई हो। साथ ही उक्त निरीक्षण रिपोर्ट का सार ओएमएमएएस पर अपलोड किया गया है।

पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए, पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि किसी ज़ोन/क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता उस ज़ोन/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित संसद सदस्य और ज़िला पंचायत प्रमुख से प्रत्येक छह माह में किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना(ओं) के संयुक्त निरीक्षण के लिए चयन करने का अनुरोध करेंगे। इसी प्रकार, किसी प्रखंड के प्रभारी कार्यपालक अभियंता विधायक/संबंधित मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से प्रत्येक तीन माह में संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे और इसी तरह उप-मंडल के प्रभारी सहायक अभियंता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से प्रत्येक दो माह में किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना(ओं) के संयुक्त निरीक्षण के लिए चयन करने का अनुरोध करेंगे।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 236 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पांच वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष 2025-26 (26.11.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार जारी निधियों तथा व्यय का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र सं.	रा ज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (26.11.2025 तक)	
		जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)
1	अंडमान और निकोबार	0.00	3.78	9.22	5.45	12.22	7.51	12.22	22.93	0.05	3.97	0.00	9.47
2	आंध्र प्रदेश	53.20	396.75	50.00	508.86	644.13	748.63	140.64	368.03	507.32	370.60	0.00	225.04
3	अरुणाचल प्रदेश	952.31	1,429.61	1090.60	1,279.07	1018.74	1,246.99	339.90	320.09	609.00	726.10	158.62	435.96
4	असम	2516.62	2600.19	1591.50	2,488.03	664.91	1,118.21	391.29	571.22	79.24	264.76	84.03	85.08
5	बिहार	49.13	2173.52	375.00	1,992.99	1443.23	2,088.54	963.37	1,815.63	1195.44	2,312.80	0.00	548.59
6	छत्तीसगढ़	924.48	1985.94	394.41	1,902.34	995.87	1,057.35	401.77	388.09	325.24	413.71	93.95	180.80
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	79.08	133.32	195.50	400.16	266.63	492.19	298.41	330.33	220.65	361.22	0.00	101.02
9	हरियाणा	0.00	92.10	353.23	583.12	168.25	213.81	74.01	150.86	27.38	34.60	0.00	4.23

क्र सं.	रा ज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (26.11.2025 तक)	
		जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)
10	हिमाचल प्रदेश	745.24	1061.00	517.45	933.22	624.76	626.84	617.56	371.54	634.82	904.14	321.85	710.56
11	जम्मू और कश्मीर	1727.30	932.37	1328.34	1,485.28	717.00	1,114.78	1304.17	1,256.96	1028.25	1,070.58	14.88	242.57
12	झारखंड	293.50	1083.34	0.00	598.44	332.63	745.63	752.80	1,323.90	961.77	1,374.96	0.00	371.95
13	कर्नाटक	49.29	728.40	704.25	1,499.18	720.47	864.71	72.25	404.03	100.58	142.81	0.01	11.51
14	केरल	89.97	71.76	0.00	46.91	106.76	124.97	54.25	164.95	122.27	249.15	41.82	109.44
15	लद्दाख	50.00	514.73	140.79	109.66	109.97	107.81	37.50	30.44	113.81	111.33	39.10	49.20
16	मध्य प्रदेश	1099.54	2166.99	1392.25	2,419.14	1557.47	1,978.73	599.42	1,105.16	703.29	966.83	50.22	331.27
17	महाराष्ट्र	0.00	221.59	0.00	376.73	743.00	1,074.02	1110.80	1,507.37	854.93	1,524.10	38.03	581.50
18	मणिपुर	420.66	601.46	742.00	710.58	744.98	539.11	161.29	296.83	2.81	88.75	0.32	1.85
19	मेघालय	355.29	473.71	483.92	536.92	405.89	373.72	122.59	238.19	219.62	375.61	95.54	96.82
20	मिजोरम	1.59	277.32	74.34	332.86	584.20	315.94	141.37	381.62	87.50	45.78	16.21	59.41
21	नागालैंड	72.89	144.70	145.31	125.83	183.15	198.65	161.29	94.01	2.25	30.50	3.12	39.88
22	ओडिशा	774.29	1754.13	404.12	1,795.5	1235.88	2,088.9	1262.55	1,589.8	712.39	734.9	65.27	118.81
23	पुदुचेरी	0.00	0.00	11.66	0.00	24.72	27.08	0.27	11.89	25.00	-0.10	0.00	0.00
24	पंजाब	0.00	2.67	68.59	295.14	231.06	428.72	265.10	522.95	319.87	328.82	43.34	220.89

क्र सं.	रा ज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (26.11.2025 तक)	
		जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी निधि	व्यय (राज्य अंश सहित)
25	राजस्थान	237.15	492.13	917.51	1,452.64	199.90	372.38	404.79	633.09	450.46	933.32	143.08	255.16
26	सिक्किम	195.50	178.52	107.28	177.89	263.33	230.34	94.37	130.13	70.00	148.98	32.97	87.07
27	तमिलनाडु	265.38	626.92	440.00	1,169.56	613.70	532.36	411.36	777.78	638.66	741.43	182.22	1011.68
28	तेलंगाना	0.00	288.59	86.38	410.80	321.43	345.32	296.9625	479.41	132.57	399.90	0.00	157.33
29	त्रिपुरा	69.57	99.25	73.88	202.93	267.59	152.90	185.03	112.64	172.75	98.07	10.89	36.37
30	उत्तर प्रदेश	123.90	440.19	1418.55	2,074.26	2068.57	3,267.32	2679.63	3,791.65	1968.60	2,704.11	0.00	383.58
31	उत्तराखंड	1536.27	1493.50	787.00	1,218.45	1297.16	1,350.02	551.05	800.68	815.50	934.09	95.82	245.43
32	पश्चिम बंगाल	969.31	1471.94	49.94	701.28	381.03	394.75	99.275	309.11	225.00	271.11	79.33	428.52
कुल		**13651.46**	**23940.42**	**13952.99**	**27,833.22**	**18948.61**	**24,228.27**	**14007.29**	**20,301.27**	**13327.03**	**18,666.94**	**1,610.62**	**7,140.99**

नागपुर के लिए राज्य स्तर पर उपयोग किया गया बजट प्रोग्राम की *वेबसाइट* ***omms.nic.in-> progress monitoring->Financial Year wise Achievement*** पर देखा जा सकता है।